

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 अप्रैल 2025—चैत्र 21, शक 1947

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अजय सिंह परमार, पुत्र स्व. अनिल सिंह परमार, निवासी-104, सेवा नगर, ग्वालियर (म.प्र.). यह कि मेरे शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में जैसे सेवा-पुस्तिका, पैन कार्ड, आधार कार्ड एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम अजय कुमार पवार पुत्र अनिल कुमार पवार, अजय पवार पुत्र अनिल ठाकुर, अजय पवार पुत्र अनिल सिंह आदि दर्ज है, जो कि गलत है, जबकि मेरा सही नाम अजय सिंह परमार पुत्र स्व. अनिल सिंह परमार है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम अजय सिंह परमार पुत्र स्व. अनिल सिंह परमार के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(अजय पवार)

(अजय कुमार पवार)

(G-1412)

नया नाम

(अजय सिंह परमार)

(Ajay Singh Parmar)

पुत्र-स्व. अनिल सिंह परमार.

नाम परिवर्तन

मैं, वंदना आम्बिलकर पति रजनीश आम्बिलकर, निवासी-ग्राम पाथरवाड़ा, तहसील व जिला-बालाघाट (म.प्र.). मेरा विवाह पूर्व का नाम वंदना हटवारे पिता नंदलाल हटवारे था. विवाह पश्चात् मेरा नाम वंदना आम्बिलकर पति रजनीश आम्बिलकर है. मैं, विवाह पूर्व के सरनेम के स्थान पर विवाहोपरांत का सरनेम एवं पिता के स्थान पर पति का नाम दर्ज करवाना चाहती हूँ.

पुराना नाम

(वंदना हटवारे)

पिता-श्री नंदलाल हटवारे

(G-1413)

नया नाम

(वंदना आम्बिलकर)

पति-श्री रजनीश आम्बिलकर.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड एवं शिक्षा संबंधी अभिलेख में मेरा नाम रामयश मिश्रा पिता श्री स्वामी शरण मिश्रा दर्ज है एवं मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम रामयश मिश्र पिता श्री स्वामी शरण मिश्र दर्ज है, ये दोनों नाम मेरे स्वयं के हैं. अतः मेरे सभी शासकीय-अर्द्धशासकीय एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम रामयश मिश्र पिता श्री स्वामीशरण मिश्र के स्थान पर रामयश मिश्रा पिता श्री स्वामीशरण मिश्रा के नाम से जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(रामयश मिश्र)

(G-1414)

नया नाम

(रामयश मिश्रा)

पता-6वीं बटालियन, थाना रांझी,
जिला-जबलपुर (म.प्र.)

CHANGE OF NAME

I, Sham Pawar S/o Shrihari Pawar, House No. 14, Rajvansh Colony, Phase 2, Bypass Road, Karond, Bhopal, have changed the name of my minor daughter from TANMAYI PAWAR to ARADHYA PAWAR and she shall hereafter be known as ARADHYA PAWAR.

Old Name

(Tanmayi Pawar)

(G-1415)

New Name

(Aradhya Pawar)

D/o-Sham Pawar.

नाम परिवर्तन

मैं, बुलाक बाई पति बद्रीलाल (BULAK BAI) निवासी-ग्राम रलायता तह. व जिला-मंदसौर. सर्वसाधारण को इस जाहिर सूचना के माध्यम से सूचित करता हूँ कि मेरा वोटर आईडी कार्ड, समग्र आईडी में श्यामाबाई दर्ज है जो सही है. किन्तु मेरे आधार कार्ड में बुलाक बाई नाम अंकित हो गया है. जो गलत है. उसके स्थान पर परिवर्तित करने श्यामा बाई भांभी (SHYAMA BAI BHAMBHI) रख लिया है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे श्यामा बाई भांभी (SHYAMA BAI BHAMBHI) के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जावे एवं अन्य दस्तावेजों में सही नाम अंकित किया जाए.

पुराना नाम

(बुलाक बाई)

(G-1416)

नया नाम

(श्यामाबाई भांभी)

पति-बद्रीलाल भांभी

नाम परिवर्तन

मैं, ऊषा शर्मा पिता श्री सरमन लाल शर्मा निवासी-हटा, 13, लालबहादुर शास्त्री वार्ड, हटा, दमोह. मेरा नाम शैक्षणिक दस्तावेजों में ऊषा शर्मा पिता श्री सरमन लाल शर्मा दर्ज है. मेरी शादी श्री सुखनंदी लाल भट्ट जी के साथ हिन्दू रीति-रिवाज के साथ सम्पन्न हुई थी, जिसके बाद मेरा नाम ऊषा भट्ट लिखवाया गया. अब मैं, अपना नाम ऊषा शर्मा पिता श्री सरमन लाल शर्मा लिखवाना चाहती हूँ. मेरी सेवा-पुस्तिका में ऊषा शर्मा पिता श्री सरमन लाल शर्मा अंकित है. अतः प्रकाशन उपरांत पूर्व नाम ऊषा शर्मा के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(ऊषा भट्ट)

(G-1417)

नया नाम

(ऊषा शर्मा)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम राजु पिता नत्थुजी वघाले था. उक्त मेरा नाम परिवर्तित होकर देवीदास पिता नत्थुजी वघाले हो गया है. अतः भविष्य में मेरे समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, राजस्व अभिलेख, शैक्षणिक दस्तावेज में देवीदास पिता नत्थुजी वघाले के नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम
(राजू)
पिता-नत्थुजी वघाले
(G-1418)

नया नाम
(देवीदास)
पिता-नत्थुजी वघाले
पता-सा. गुरुदेव वार्ड, पांडुर्णा.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम सुनिता कुलकर्णी (SUNITA KULKARNI) पिता श्री सुधाकर कुलकर्णी अंकित है. विवाह पश्चात् मेरा नाम मेरे दस्तावेजों में पूर्वा तेलंग (PURVA TELANG) पति प्रकाश तेलंग दर्ज है. उपरोक्त दोनों ही नाम एक ही महिला के होकर मेरे ही हैं एवं वर्तमान एवं भविष्य में प्रकाशन पश्चात् मुझे मेरे वास्तविक सही नाम पूर्वा तेलंग (PURVA TELANG) के नाम से जाना व पहचाना जाये.

(G-1419)

नया नाम
(पूर्वा तेलंग)
(PURVA TELANG)
पति-प्रकाश तेलंग,
पता-मकान नंबर 21/422, सोनी कॉलोनी,
इन्द्रा पार्क के पास, गुना (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम स्कूल एवं सेवा-पुस्तिका अभिलेखों में उदय कुमार मुलतकर लिखा हुआ है, मैं सेवा-पुस्तिका से अपना मध्य नाम उदय कुमार मुलतकर के स्थान पर उदय मुलतकर करवाना चाहता हूँ. मुझे वर्तमान में अपने नये नाम उदय मुलतकर पिता रमेश मुलतकर से ही जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता है.

पुराना नाम
(उदय कुमार मुलतकर)
(G-1420)

नया नाम
(उदय मुलतकर)
पिता-रमेश मुलतकर.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम पूर्व में राजेश चौहान पिता रतनलाल चौहान (Rajesh Chouhan S/o Ratanlal Chouhan) मेरे दस्तावेजों में अंकित है. मैंने अपना नाम परिवर्तित कर राजेन्द्र कुमार चौहान पिता रतनलाल चौहान (Rajendra Kumar Chouhan S/o Ratanlal Chouhan) कर लिया है. दोनों नाम मेरे ही हैं, जिसके बाद अब मुझे मेरे परिवर्तित नाम राजेन्द्र कुमार चौहान पिता रतनलाल चौहान (Rajendra Kumar Chouhan S/o Ratanlal Chouhan) से ही जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा जावे एवं समस्त शासकीय व अशासकीय अभिलेखों में भी मेरे नाम को दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(राजेश चौहान)
(G-1421)

नया नाम
(राजेश कुमार चौहान)
पिता-रतनलाल चौहान
निवासी-366, कृष्ण बाग कॉलोनी,
मालवी नगर के पीछे, इंदौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती शीला भंभानी (Sheela Bhambhani) पत्नी श्री कमलेश निवासी-म.नं. ई-2, इन्द्रप्रस्थ कालोनी, एयरपोर्ट रोड, लालघाटी, बैरागढ़ कलां, हुजूर, भोपाल (म.प्र.). मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम शीला भंभानी (Sheela Bhambhani) अंकित है एवं विवाह पश्चात् मुझे मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में मानसी पंजाबी (Mansi Punjabi) के नाम से जानी व पहचानी जाने लगी हूँ. दोनों नाम शीला भंभानी (Sheela Bhambhani) एवं मानसी पंजाबी (Mansi Punjabi) एक ही महिला यानी मेरे स्वयं के हैं. प्रकाशन उपरांत से मुझे मेरे सभी शासकीय, अशासकीय व अर्द्धशासकीय शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित पूर्व नाम शीला भंभानी (Sheela Bhambhani) के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम
(मानसी पंजाबी)
(Mansi Punjabi)
(G-1422)

नया नाम
(शीला भंभानी)
(Sheela Bhambhani).

CHANGE OF NAME

It is informed to the General Public that previously my name was RAKSHA YADAV. Now I have changed my name as AKIRA YADAV. Now in future I will be known as AKIRA YADAV.

Old Name
(Raksha Yadav)
(G-1423)

New Name
(Akira yadav)
Add.-Flat No. 202, 134,
Shivalaya Appartment, Shivdham Colony,
Limbodi, Indore (M.P.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री मोहिनी आर्य के स्कूल अभिलेख में त्रुटिवश पिता का नाम राकेश आर्य (RAKESH ARYA) लिखा गया है जबकि मेरा सही नाम राकेश कुमार आर्य (RAKESH KUMAR ARYA) है. अतः मेरी पुत्री मोहिनी आर्य के स्कूल अभिलेख में पिता का नाम राकेश कुमार आर्य (RAKESH KUMAR ARYA) पढ़ा जावे. सो विदित होवे.

पुराना नाम
(राकेश आर्य)
(G-1424)

नया नाम
(राकेश कुमार आर्य)
पता-193, ग्रेटर वैशाली कॉलोनी, गोपुर चौराहे के पास,
इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती रिया चंदानी पत्नी श्री मुकेश कुमार चंदानी, निवासी-बी 2-601, विष्णु हाईटेक सिटी, बावडिया कलां, भोपाल (म.प्र.) शादी के पूर्व मेरा नाम कु. अन्तु वाधवानी पुत्री श्री चंद्र लाल वाधवानी के नाम से जानी व पहचानी जाती थी, श्री मुकेश कुमार चंदानी से शादी के पश्चात् मेरा नाम रिया चंदानी रखा गया था और वर्तमान में मैं, श्रीमती रिया चंदानी पत्नी श्री मुकेश कुमार चंदानी के नाम से ही जानी व पहचानी जाती हूँ तथा सभी सरकारी एवं गैर सरकारी दस्तावेजों में मुझे श्रीमती रिया चंदानी पत्नी श्री मुकेश कुमार चंदानी के नाम से पढ़ा व लिखा जावे.

पुराना नाम
(अन्तु वाधवानी)
(G-1425)

नया नाम
(रिया चंदानी)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरे पुत्र का नाम मेघ पुत्र श्री मनोज था एवं मेरा नाम श्रीमती सुमन पत्नी श्री मनोज था, मैंने अपने पति मनोज पुत्र श्री रामलाल से परिवार न्यायालय, शुजालपुर से तलाक प्राप्त कर लिया है. मैंने तलाक प्राप्त करने के बाद सन्नी शाक्या पुत्र श्री सुन्दर लाल शाक्या से विवाह कर लिया है और मेरा नाम सुमन पत्नी श्री सन्नी शाक्या हो गया है. इसी प्रकार मेरे पुत्र का नाम मेघ पुत्र श्री सन्नी शाक्या हो गया है. अतः भविष्य में मेरे पुत्र को मेघ पुत्र श्री मनोज के स्थान पर मेघ पुत्र श्री सन्नी शाक्या के नाम से जाना व पहचाना जावे.

प्रार्थी

(श्रीमती सुमन)

पत्नी-श्री सन्नी शाक्या

निवासी-मकान नंबर-318, कुम्हार मोहल्ला,
बरखेडा हसन, जिला सीहोर (म.प्र.).

(G-1426)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरे पुत्र का नाम मन पुत्र श्री मनोज था एवं मेरा नाम श्रीमती सुमन पत्नी श्री मनोज था, मैंने अपने पति मनोज पुत्र श्री रामलाल से परिवार न्यायालय, शुजालपुर से तलाक प्राप्त कर लिया है. मैंने तलाक प्राप्त करने के बाद सन्नी शाक्या पुत्र श्री सुन्दर लाल शाक्या से विवाह कर लिया है और मेरा नाम सुमन पत्नी श्री सन्नी शाक्या हो गया है. इसी प्रकार मेरे पुत्र का नाम मन पुत्र श्री सन्नी शाक्या हो गया है. अतः भविष्य में मेरे पुत्र को मन पुत्र श्री मनोज के स्थान पर मन पुत्र श्री सन्नी शाक्या के नाम से जाना व पहचाना जावे.

प्रार्थी

(श्रीमती सुमन)

पत्नी-श्री सन्नी शाक्या

निवासी-मकान नंबर-318, कुम्हार मोहल्ला,
बरखेडा हसन, जिला सीहोर (म.प्र.).

(G-1427)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का नाम मानवेंद्र सिंह (Manvendra Singh) है. जिसे बदलकर मैंने मेरे पुत्र का नाम मोहित नागर (MOHIT NAGAR) पुत्र श्री फूल सिंह नागर रख लिया है. अतः भविष्य में मेरे पुत्र को मोहित नागर (MOHIT NAGAR) के नाम से जाना व पहचाना व पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(मानवेंद्र सिंह)

(Manvendra Singh)

नया नाम

(मोहित नागर)

(MOHIT NAGAR)

पुत्र-श्री फूल सिंह नागर

पता-घर नं. 40, ग्राम पालखेड़ी, पोस्ट तिंदोनिया,
नरसिंहगढ़, तह. नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ (म.प्र.).

(G-1428)

नाम परिवर्तन

मैं, पूजा गेहलोद पत्नी दिनेश गेहलोद, निवासी-आवास फलिया झीरण, जिला अलीराजपुर (म.प्र.), मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम पूजा चौहान अंकित हो गया है, जो गलत है. अतः मेरा वास्तविक एवं सही नाम पूजा गेहलोद पत्नी दिनेश गेहलोद है. अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम पूजा गेहलोद पत्नी दिनेश गेहलोद से ही जाना एवं पहचाना जावे.

आवेदिका

(पूजा गेहलोद)

पत्नी-दिनेश गेहलोद.

(G-1429)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम श्रेया दुबे (Shhreya dubeyy) था, जो कि अब परिवर्तित कर रश्मी दुबे (Rashmi dubey) कर लिया गया है. अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से ही जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम
(श्रेया दुबे)
(Shhreya dubeyy)

नया नाम
(रश्मी दुबे)
(Rashmi dubey)
पता-205, नेहल ऐवेन्यु, 6-आर,
गोयल नगर, इन्दौर (म.प्र.).

(G-1430)

नाम परिवर्तन

मैं, मान सिंह पुत्र श्री घीसालाल, निवासी-म.नं. 101/26, ग्राम बरखेडा सेतू, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड पर त्रुटिवश मदन लाल तवर नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे वोटर कार्ड पर मान सिंह (MAN SINGH) नाम दर्ज है, जो कि सही है, अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत समस्त दस्तावेजों में सही नाम मान सिंह (MAN SINGH) से जाना-पहचाना वा लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(मदन लाल तवर)

नया नाम
(मान सिंह)
(MAN SINGH)

(G-1431)

नाम परिवर्तन

मैं, लक्ष्मी नाथ माझी पत्नी श्री प्रफुल्ला कुमार, निवासी-ग्राम माहुकला, पोस्ट पिलीकरार, बुधनी, जिला सीहोर (म.प्र.). यह कि मेरे आधार पर त्रुटिवश लक्ष्मी सावतल नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे पेन कार्ड पर लक्ष्मी नाथ माझी (LAXMI NATH MAZI) नाम दर्ज है, जो कि सही है, अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम लक्ष्मी नाथ माझी (LAXMI NATH MAZI) से जाना-पहचाना लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(लक्ष्मी सावतल)

नया नाम
(लक्ष्मी नाथ माझी)
(LAXMI NATH MAZI)

(G-1432)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम कोशलेस चौरे है, जिसके नाम की स्पेलिंग KO SHLESS CHOREY है, पुत्र श्री सखाराम चौरे. मेरे समस्त दस्तावेज एवं अंकसूची में भी मेरे नाम की यही स्पेलिंग है जबकि मेरे आधार कार्ड में मेरे नाम की स्पेलिंग KAUSHLESH CHOREY गलती से अंकित हो गया है जबकि नाम की सही स्पेलिंग KO SHLESS CHOREY है. आधार कार्ड में त्रुटिपूर्ण अंकित मेरे नाम की स्पेलिंग को सुधार कर कर KO SHLESS CHOREY करना चाहता हूँ. अतः मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाये.

(G-1433)

आवेदक
कोशलेस चौरे
पुत्र-सखाराम चौरे
पता-ग्वालटोली, भिंडवेयर हाउस,
वार्ड नं. 30, नर्मदापुरम (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

I, Shahida Mairaj Siddiqui D/o. Mairaj Hasan W/o Rafi Uddin Siddiqui, Resident of 12, Nadeem Road, Ibrahim Pura, Bhopal do hereby declare that my name mentioned in revenue records as shahida bee and in Passport, UID (Adhar) and Pancard name written as Shahida Mairaj Siddiqui. So from now and in future I will be known as Shahida Mairaj Siddiqui.

Old Name

New Name

(Shahida bee)

(Shahida Mairaj Siddiqui)

(G-1434)

नाम परिवर्तन

मैं, चन्द्रेश कुमार थोरात आत्मज स्व. श्री यादवराव थोरात, निवासी-नई हताई, वार्ड नं. 17, ग्राम तलवाड़ा बुजुर्ग, जिला बड़वानी (म.प्र.). मेरा पूर्व के दस्तावेजों में नाम चन्द्रेश थोरात एवं CHANDRESHO KUMAR THORAT था. अब मेरा नाम बदलकर वर्तमान में चन्द्रेश कुमार थोरात CHANDRESH KUMAR THORAT हो गया है. भविष्य में मुझे चन्द्रेश कुमार थोरात CHANDRESH KUMAR THORAT पुत्र स्व. श्री यादवराव थोरात LATE SHRI YADAVRAO THORAT नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(चन्द्रेश थोरात) एवं

(चन्द्रेश कुमार थोरात)

(CHANDRESHO KUMAR THORAT)

(CHANDRESH KUMAR THORAT)

(G-1435)

CHANGE OF NAME

I, Dinesh Kumar Choudhary S/o. Sonelal Choudhary, R/o Makan No. 26, Prabhu Prem Puram, Phase 1, Ward No. 48, Khandwa, Distt. Khandwa (M.P.). Declare that previously I was known as Dinesh Kumar S/o. Sonelal Choudhary. Now I have changed my name as Dinesh Kumar Choudhary S/o. Sonelal Choudhary. Kindly read my name Dinesh Kumar Choudhary S/o. Sonelal Choudhary instead of Dinesh Kumar S/o. Sonelal Choudhary in my all documents.

Old Name

New Name

(DINESH KUMAR)

(DINESH KUMAR CHOUDHARY)

S/o. SONELAL CHOUDHARY

S/o. SONELAL CHOUDHARY

(G-1436)

नाम परिवर्तन

मैं, लिमचंद पाटीदार (LIMCHAND PATIDAR) पुत्र श्री लक्ष्मण पाटीदार, निवासी-ग्राम घेगॉव, तहसील व जिला खरगोन (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश लिमया नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे मूल निवासी प्रमाण-पत्र में लिमचंद पाटीदार (LIMCHAND PATIDAR) पुत्र श्री लक्ष्मण पाटीदार नाम दर्ज है, जो सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में लिमचंद पाटीदार (LIMCHAND PATIDAR) पुत्र श्री लक्ष्मण पाटीदार के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(लिमया)

(लिमचंद पाटीदार)

(LIMCHAND PATIDAR)

(G-1437)

पुत्र-श्री लक्ष्मण पाटीदार

नाम परिवर्तन

मैं, लीलाकिशन पुत्र श्री बंशीलाल, निवासी—ग्राम पाटेर, पोस्ट चॉदबड़ जागीर, तह. श्यामपुर, जिला सीहोर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम कमल सिंह पुत्र घीसीलाल दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. जबकि मेरा सही नाम लीलाकिशन पुत्र श्री बंशीलाल है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम लीलाकिशन पुत्र श्री बंशीलाल से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(कमल सिंह)
पुत्र—घीसीलाल
(G-1438)

नया नाम
(लीलाकिशन)
पुत्र—श्री बंशीलाल.

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती अख्तर जहां पत्नी हमीद खां, निवासी—ग्राम श्यामपुर, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर (म.प्र.). मेरा पुराना नाम छोटी बी है, जिसे परिवर्तित कर नया नाम अख्तर जहां (AKHATAR JAHA) कर लिया है, प्रकाशन उपरांत नये नाम अख्तर जहां के नाम से जानी जाऊंगी एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम रहेगा.

पुराना नाम
(छोटी बी)
(G-1439)

नया नाम
(अख्तर जहां)
पत्नी—हमीद खां.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मुझ अनन्या चंद्रावत पिता श्री गजेन्द्र सिंह चंद्रावत, निवासी—एफ-10, क्लासिक क्राउन सिटी, इन्द्रा नगर, नीमच के द्वारा मेरा नाम बदलकर दिशा चंद्रावत पिता श्री गजेन्द्र सिंह चंद्रावत (DISHA CHANDRAWAT D/o. GAJENDRA SINGH CHANDRAWAT) कर लिया गया है, अब भविष्य में मुझे मेरे नवीन नाम दिशा चंद्रावत पिता श्री गजेन्द्र सिंह चंद्रावत के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम
(अनन्या चंद्रावत)
(ANANYA CHANDRAWAT)
पिता—श्री गजेन्द्र सिंह चंद्रावत
(D/o. GAJENDRA SINGH CHANDRAWAT)
(G-1440)

नया नाम
(दिशा चंद्रावत)
(DISHA CHANDRAWAT)
पिता—श्री गजेन्द्र सिंह चंद्रावत
(D/o. GAJENDRA SINGH CHANDRAWAT)

नाम परिवर्तन

मैं, सविया पत्नी स्व. श्री ठकुरिया, निवासी—68/2, ग्राम पुनौर, तहसील पिपरिया, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम सविता बाई चौधरी अंकित हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे मतदाता पहचाना-पत्र, राजस्व अभिलेख आदि में भी मेरा सही नाम श्रीमती सविया पत्नी स्व. श्री ठकुरिया है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम श्रीमती सविया पत्नी स्व. श्री ठकुरिया के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(सविता बाई चौधरी)
पत्नी—स्व. श्री ठकुरिया
(G-1441)

नया नाम
(सविया)
पत्नी—स्व. श्री ठकुरिया

CHANGE OF NAME

This is to be informing General Public that presently my name is mentioned differently in various identification documents as, Asha Devi, Cottari Asha Nayudu, Asha Devi Cottari Nayudu & Asha devi Nayudu Cottari wife of (Late) Mr. Shyam Sundar, Resident of R-571, Surya Niwas, Mahalaxmi Nagar, Indore.

ASHA DEVI

Address : R-571, Surya Niwas,
Mahalaxmi Nagar, Indore.

(G-1442)

नाम परिवर्तन

मुझ प्रार्थी का सही नाम योगेन्द्र शर्मा (YOGENDRA SHARMA) है। यही नाम मेरे शैक्षणिक, मूलनिवासी आदि दस्तावेजों में दर्ज है, जबकि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम गिर्राज शर्मा (GIRRAJ SHARMA) दर्ज हो गया है। गिर्राज शर्मा और योगेन्द्र शर्मा मुझ एक ही व्यक्ति के नाम हैं, प्रकाशन उपरांत मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम गिर्राज शर्मा (GIRRAJ SHARMA) के स्थान पर योगेन्द्र शर्मा (YOGENDRA SHARMA) पढ़ा-लिखा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

(गिर्राज शर्मा)

(GIRRAJ SHARMA)

(S/o VINOD SHARMA)

नया नाम

(योगेन्द्र शर्मा)

(YOGENDRA SHARMA)

(S/o VINOD SHARMA)

निवासी-वार्ड नं. 03, एमएलडी कॉलोनी,
अम्बाह, जिला-मुरैना (म.प्र.).

(G-1443)

नाम परिवर्तन

मुझ प्रार्थी भीकम कुशवाह की पुत्री का नाम राधिका कुशवाह (RADHIKA KUSHWAH) है, जबकि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम त्रुटिवश राधा (RADHA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है, राधा एवं राधिका कुशवाह मेरी एक ही पुत्री के नाम हैं। अतः नाम परिवर्तन सूचना प्रकाशन के बाद मेरी पुत्री के आधार कार्ड में मेरी पुत्री को राधा (RADHA) के स्थान पर राधिका कुशवाह (RADHIKA KUSHWAH) के नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा-लिखा जावे व समस्त दस्तावेजों में दर्ज किया जावे।

प्रार्थी

भीकम कुशवाह

पुत्र-भजन लाल कुशवाह

निवासी-बस स्टेण्ड, ग्राम बनवार, जिला ग्वालियर.

(G-1444)

नाम परिवर्तन

मुझ प्रार्थी भगवान सिंह पुत्र विजय सिंह के स्कीम सर्टिफिकेट में मेरी पत्नी का घरेलू नाम सुनीता सिंह (SUNITA SINGH) दर्ज हो गया है। यही नाम उनके वोटर कार्ड में दर्ज है, जबकि उनका सही नाम कुंती देवी (KUNTI DEVI) है। यही नाम उनके आधार कार्ड, पेन कार्ड आदि दस्तावेजों में दर्ज है। सुनीता सिंह और कुंती देवी दोनों नाम एक ही महिला के हैं। भविष्य में मेरी पत्नी को सुनीता देवी के स्थान पर कुंती देवी के नाम से जाना-पहचाना जावे व मेरे उपरोक्त स्कीम सर्टिफिकेट में मेरी पत्नी का नाम कुंती देवी (KUNTI DEVI) पढ़ा-लिखा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

(सुनीता सिंह)

(SUNITA SINGH)

नया नाम

(कुंती देवी)

(KUNTI DEVI)

पत्नी-भगवान सिंह

पता-आदर्श कॉलोनी, गोले का मंदिर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1445)

नाम परिवर्तन

मैं, नितीन कुमार पिता श्री अशोक कुमार, निवासी—क्वार्टर नं. 4, पुरानी फैमली लाईन, 6वीं बटालियन, एस.ए.एफ. रांझी, जबलपुर. मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम नितीन कुमार एवं मेरे पिता श्री अशोक कुमार दर्ज है एवं मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, मूल निवासी में मेरा नाम नितीन कुमार पुन (NITIN KUMAR PUN) पिता का नाम अशोक कुमार पुन (ASHOK KUMAR PUN) दर्ज है. मैं, अपने सर्विस रिकार्ड में अपना नाम नितीन कुमार एवं मेरे पिता श्री अशोक कुमार पुन के स्थान पर सही नाम नितीन कुमार पुन (NITIN KUMAR PUN) पिता अशोक कुमार पुन (ASHOK KUMAR PUN) के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(नितीन कुमार)

(G-1446)

नया नाम

(नितीन कुमार पुन)

पिता—अशोक कुमार पुन.

नाम परिवर्तन

मैं, उगमसिंह आत्मज स्व. किशनसिंह, निवासी—क्वार्टर नंबर जी 19, पुरानी फैमली लाईन, गेट नंबर 4 के सामने, एस.ए.एफ. 6वीं बटालियन, थाना रांझी, तहसील रांझी, जिला—जबलपुर. मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम उगमसिंह पिता का नाम किशनसिंह दर्ज है. जबकि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड में मेरा नाम उगम सिंह राठौर एवं पिता का नाम किशन सिंह राठौर दर्ज है. मैं, अपने सर्विस रिकार्ड में अपना नाम उगमसिंह के स्थान पर उगम सिंह राठौर एवं पिता का नाम किशनसिंह के स्थान पर किशन सिंह राठौर संशोधित कर दर्ज कराना चाहता हूँ, मुझे उगम सिंह राठौर पिता किशन सिंह राठौर के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(उगमसिंह)

(G-1447)

नया नाम

(उगम सिंह राठौर)

पिता—किशन सिंह राठौर.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रदुम्न कुमार अग्निहात्री (PRADDUMN KUMAR AGNIHATRI) पिता—श्री दिनकर पी.डी. अग्निहात्री, निवासी—ग्राम व पोस्ट ममदर, थाना रामपुर नैकिन, जिला सीधी (म.प्र.). मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम प्रदुम्न कुमार अग्निहात्री (PRADDUMN KUMAR AGNIHATRI) एवं मेरे पिता का नाम दिनकर पी.डी. अग्निहात्री (DINKAR PD AGNIHATRI) दर्ज है. जबकि मेरे आधार कार्ड एवं पेन कार्ड में मेरा नाम प्रद्युम्न प्रसाद अग्निहात्री (PRADYUMNA PRASAD AGNIHOTRI) पिता का नाम दिनकर प्रसाद अग्निहात्री (DINKAR PRASAD AGNIHOTRI) दर्ज है. मैं, अपने सर्विस रिकार्ड में अपना नाम प्रदुम्न कुमार अग्निहात्री (PRADDUMN KUMAR AGNIHATRI) एवं मेरे पिता का नाम दिनकर पी.डी. अग्निहात्री (DINKAR PD AGNIHATRI) के स्थान पर सही नाम प्रद्युम्न प्रसाद अग्निहात्री (PRADYUMNA PRASAD AGNIHOTRI) पिता का नाम दिनकर प्रसाद अग्निहात्री (DINKAR PRASAD AGNIHOTRI) संशोधित कर दर्ज कराना चाहता हूँ एवं इसी नाम से मुझे जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(प्रदुम्न कुमार अग्निहात्री)

(PRADDUMN KUMAR AGNIHATRI)

पिता—दिनकर प्रसाद अग्निहात्री

(DINKAR PD AGNIHATRI)

(G-1448)

नया नाम

(प्रद्युम्न कुमार अग्निहात्री)

(PRADYUMNA PRASAD AGNIHOTRI)

पिता—दिनकर प्रसाद अग्निहात्री

(DINKAR PRASAD AGNIHOTRI)

नाम परिवर्तन

मैं, विनोद कुमार राजपूत पिता श्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत, निवासी-न्यू 16, क्वार्टर, नं. 16, एस.ए.एफ., 6वीं बटालियन, रांझी जबलपुर. मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम विनोद कुमार राजपूत (VINOD KUMAR RAJPUT) एवं मेरे पिता का नाम श्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत (SURENDRA SINGH RAJPUT) दर्ज है, जबकि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, एवं मेरे एस.बी.आई. बैंक पासबुक में मेरा नाम विनोद सिंह नेगी (VINOD SINGH NEGI) पिता का नाम श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी (SURENDRA SINGH NEGI) दर्ज है. मैं, अपने सर्विस रिकार्ड में अपना नाम विनोद सिंह नेगी (VINOD SINGH NEGI) पिता का नाम सुरेन्द्र सिंह नेगी संशोधित कर दर्ज करवाना चाहता हूँ. अतः, मुझे विनोद सिंह नेगी (VINOD SINGH NEGI) पिता का नाम श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(विनोद कुमार राजपूत)

नया नाम

(विनोद सिंह नेगी)
पिता-सुरेन्द्र सिंह नेगी.

(G-1449)

नाम परिवर्तन

मैं, अविनाश महाजन आत्मज श्री इश्वर महाजन, निवासी-227, पंचपीर नगर, बरखेडा पटानी, हुजूर, भेल, भोपाल (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम कपिल महाजन (KAPIL MAHAJAN) दर्ज है, जबकि मेरे पुत्र का सही नाम विशाल महाजन (VISHAL MAHAJAN) है, यह कि मेरा पुत्र वर्तमान में विशाल महाजन (VISHAL MAHAJAN) नाम से जाना-पहचाना जाता है तथा भविष्य में भी इसी नाम से जाना व पहचाना जावेगा.

पुराना नाम

(कपिल महाजन)
(KAPIL MAHAJAN)

नया नाम

(विशाल महाजन)
(VISHAL MAHAJAN)

(G-1450)

CHANGE OF NAME

I, am Roopa Mourya wife of Shri Kamlesh Mourya, Residence of 243, Babulal Nagar, Indore (M.P.). Earlier my name was Roopa Yadav, Daughter of Shri Kantilal Yadav, Residence of 31, New Basti Musakhedi at Present I should be known and recognized by my current name Roopa Mourya wife of Shri Kamlesh Mourya.

Old Name

(Roopa Yadav)

D/o Shri Kantilal Yadav

New Name

(Roopa Mourya)

W/o Shri Kamlesh Mourya

(G-1451)

नाम परिवर्तन

मैं, अब्दुल रहीम खत्री पिता मुबारिक हुसैन, निवासी-मकान नंबर 123, ग्राम खिराला, तहसील पंधाना, जिला खण्डवा, (म.प्र.) का निवासी होकर भविष्य में सभी उद्देश्यों के लिए अपना नाम अब्दुल रहीम खत्री से अब्दुल रहीम (ABDUL RAHIM) में परिवर्तित कर लिया है.

पुराना नाम

(अब्दुल रहीम खत्री)

(ABDUL RAHEEM KHATRI)

(G-1452)

नया नाम

(अब्दुल रहीम)

(ABDUL RAHIM)

CHANGE OF NAME

I, Megha Maske W/o Santosh Kumar Maske, Add.-K-4, Fortune Enclave, Kolar Road, Bhopal (M.P.), hereby declare that my birth name is Meghmitra D/o. Shobha Hiralal Pippal, Resident of Nimtal, Vidisha (M.P.). Both the names are of same individual.

| | |
|--|--|
| Old Name (MEGHMITRA) D/o SHOBHA HIRALAL PIPPAL (G-1453) | New Name (MEGHA MASKE) W/o SANTOSH KUMAR MASKE |
|--|--|

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रिती खरे पिता किशोर खरे, पति कमलेश कावरे, निवासी-ग्राम लिंगा, तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.). मेरा विवाह कमलेश कावरे पिता महेश कावरे से संपन्न हुआ है तथा मैं, अब अपने पुराने नाम प्रिती खरे पिता किशोर खरे को त्याग कर उसके स्थान पर प्रिती कावरे (PRITEE KAWRE) पति कमलेश कावरे (KAMLESH KAWRE) लिखना चाहती हूँ, अब, मैं, भविष्य में प्रिती कावरे पति कमलेश कावरे के नाम से जानी व पहचानी जाऊंगी तथा मेरे शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं अन्य दस्तावेजों में भी यही नाम अंकित किया जाएगा.

| | |
|--|---|
| पुराना नाम (प्रिती खरे) (Pritee Khare) पिता-किशोर खरे (G-1454) | नया नाम (प्रिती कावरे) (Pritee Kawre) पति-कमलेश कावरे. |
|--|---|

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीकांता मंत्री पति श्री गोपाल मंत्री, निवासी-167, वार्ड नं. 19, नेहरू कॉलोनी, जिला सीहोर (म.प्र.). यह कि विवाह से पूर्व मेरा नाम निशा पिता आनंदीलाल घुप्पड़ था एवं विवाह के पश्चात् मेरा नाम श्रीकांता मंत्री पति श्री गोपाल मंत्री हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम श्रीकांता मंत्री पति श्री गोपाल मंत्री के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा, दर्ज किया जावे.

| | |
|---|---|
| पुराना नाम (निशा) पिता-आनंदीलाल घुप्पड़ (G-1455) | नया नाम (श्रीकांता मंत्री) पति-श्री गोपाल मंत्री. |
|---|---|

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती मनीषा रायखरे पत्नी श्री रामरूप रायखरे, निवासी-मं.नं. एच.आई.जी. 23, स्टर्लिंग कैसल्स, अहमदपुरकलां, होशंगाबाद रोड, भोपाल (म.प्र.). शादी के पूर्व मेरा नाम शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मनीषा गुर्जर (Manisha Gurjar) है. कुछ अन्य शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम मनीषा रायखरे (Manisha Raikhere) है. शादी के बाद से मनीषा रायखरे (Manisha Raikhere) के नाम से जाना एवं पहचाना जाता है तथा मुझे भविष्य में मनीषा रायखरे (Manisha Raikhere) के नाम व सरनेम से जाना-पहचाना जाये.

| | |
|--|---|
| पुराना नाम (मनीषा गुर्जर) (Manisha Gurjar) (G-1456) | नया नाम (मनीषा रायखरे) (Manisha Raikhere) |
|--|---|

नाम परिवर्तन

मैं, महेंद्र (MAHENDRA) पुत्र नेत राम, निवासी-म.नं. 43, सेमरी खूबचंद, पांजरा काशीराम, बरेली, रायसेन (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश निखिल (NIKHIL) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे वोटर कार्ड पर महेंद्र (MAHENDRA) पुत्र नेत राम नाम दर्ज है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में महेंद्र (MAHENDRA) पुत्र नेत राम के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(निखिल)

(G-1457)

नया नाम

(महेंद्र)
(MAHENDRA)

पुत्र-नेत राम.

नाम परिवर्तन

मैं, संजीव कुमार भारती पुत्र प्रहलाद सिंह, निवासी-59, न्यू देवास रोड, इन्दौर (म.प्र.). यह कि मेरा पूर्व नाम संजीव कुमार था, उसे मैंने परिवर्तित कर अपना नाम संजीव कुमार भारती कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम संजीव कुमार भारती के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(संजीव कुमार)

पुत्र-प्रहलाद सिंह

(G-1458)

नया नाम

(संजीव कुमार भारती)

पुत्र-प्रहलाद सिंह.

नाम परिवर्तन

त्रुटिवश मेरी पुत्री कनिष्का ठाकुर का नाम आधार कार्ड में नयनशी ठाकुर दर्ज हो गया है, जबकि मेरी पुत्री का सही नाम कनिष्का ठाकुर है, जो कि सही है. मेरी पुत्री को कनिष्का ठाकुर के नाम से ही जाना व पहचाना जावे.

भवदीय

तारकेश्वर सिंह,

पता-वार्ड क्रमांक 3, फ्रीगंज,

गंज बासौदा, जिला विदिशा.

(G-1459)

नाम परिवर्तन

कुमारी अक्षरा लोधी मेरी पुत्री है, उसका वास्तविक जन्म का नाम अक्षरा लोधी है, जबकि परिवार में अपनी पुत्री को शिवानी के नाम से पुकारते हैं. आधार कार्ड में भी इसी नाम से बन गया है, जो गलत है. प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को उसके सही नाम अक्षरा लोधी से जाना-पहचाना, पढ़ा-लिखा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(शिवानी)

पुत्री-देवेन्द्र लोधी

(G-1460)

नया नाम

(अक्षरा लोधी)

पुत्री-देवेन्द्र लोधी

पता-ग्राम सागोनी गो साईं, पोस्ट धुवाज,

तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का पूर्व नाम जी. आयुष पटेल (G. AAYUSH PATEL) को परिवर्तित कर नया नाम आयुष पटेल (AAYUSH PATEL) हो गया है। इससे पूर्व मेरे पुत्र का नाम जी. आयुष पटेल (G. AAYUSH PATEL) था, को मैंने अपने पुत्र का नाम आयुष पटेल (AAYUSH PATEL) करा दिया गया है। मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण-पत्र में पूर्व नाम जी. आयुष पटेल के स्थान पर नया नाम आयुष पटेल (AAYUSH PATEL) किया जावे। इसी नाम से जाना-पहचाना एवं दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

(जी. आयुष पटेल)
(G. AAYUSH PATEL)

नया नाम

(आयुष पटेल)
(AAYUSH PATEL)

पिता का नाम

ज्ञानेन्द्र सिंह पटेल.

(G-1461)

नाम परिवर्तन

मैं, कुमारी निशा पुत्री श्री सीताराम, निवासी-हरिजन मोहल्ला, सिदिदकगंज, सीहोर (म.प्र.). यह कि मेरे आधार में त्रुटिवश नीशा गहरवाल नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे वोटर कार्ड एवं समस्त शैक्षिक दस्तावेजों में कुमारी निशा (KUMARI NISHA) पुत्री श्री सीताराम नाम दर्ज है, जो कि सही है। अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में कुमारी निशा (KUMARI NISHA) पुत्री श्री सीताराम के नाम से जाना-पहचान एवं लिखा-पढ़ा, दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

(नीशा गहरवाल)

नया नाम

(कुमारी निशा)
(KUMARI NISHA)

पुत्री-श्री सीताराम.

(G-1462)

नाम परिवर्तन

मैं, नीतेश कुमार मिश्रा पिता श्री तिलकराज मिश्रा, निवासी-रामगढ़, तहसील अमरपाटन, जिला मैहर (म.प्र.). नैषा मिश्रा मेरी पुत्री है, जिसका सही नाम नैषा मिश्रा ही है। मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण-पत्र व स्कूल संबंधी अभिलेखों में भी सही नाम नैषा मिश्रा ही लेख है, जो सही है। लेकिन मेरे पुत्री के आधार कार्ड में गलत नाम अनन्या मिश्रा लेख है, जो कि गलत है। प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को उसके सही नाम नैषा मिश्रा के नाम से जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जावे।

आवेदक

(नीतेश कुमार मिश्रा)

(G-1463)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मो. फैसल खान (MO FAISAL KHAN) पिता अब्दुल कलीम खान (ABDUL KALEEM KHAN), निवासी-ग्राम तिंदुआ बम्हनी, तहसील नैनपुर, जिला मण्डला (म.प्र.). यह कि मेरा सही नाम मो. फैसल खान (MO FAISAL KHAN) पिता अब्दुल कलीम खान (ABDUL KALEEM KHAN) है, जो कि आधार कार्ड, पेन कार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र से अभिप्रमाणित है, जो कि सही है। यह कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम त्रुटिपूर्ण MD FAISAL KHAN हो गया है एवं पिता का नाम कलीम खान KALEEM KHAN हो गया है, जो कि गलत है। अतः अब से मेरे सभी शासकीय दस्तावेजों एवं शैक्षणिक अंकसूचियों में मेरा सही नाम मो. फैसल खान (MO FAISAL KHAN) पिता अब्दुल कलीम खान (ABDUL KALEEM KHAN) लिखा-पढ़ा, दर्ज किया जाये।

पुराना नाम

(मो. फैसल खान)
(MD. FAISAL KHAN)

नया नाम

(मो. फैसल खान)
(MO. FAISAL KHAN)

(G-1464)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मो. फैजान खान (MO. FAIZAN KHAN) पिता अब्दुल कलीम खान (ABDUL KALEEM KHAN) निवासी—ग्राम तिंदुआ बम्हनी, तहसील नैनपुर, जिला मण्डला (म.प्र.). यह कि मेरा सही नाम मो. फैजान खान (MO FAIZAN KHAN) पिता अब्दुल कलीम खान (ABDUL KALEEM KHAN) है जो कि आधार कार्ड, पेन कार्ड, जन्म प्रमाण—पत्र से अभिप्रमाणित है जो कि सत्य एवं सही है. यह कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम त्रुटिपूर्ण (MD. FAIZAN KHAN) हो गया है एवं पिता का नाम कलीम खान (KALEEM KHAN) हो गया है जो कि गलत है. अतः अब से मेरे सभी शासकीय दस्तावेजों एवं शैक्षणिक अंकसूचियों में मेरा सही नाम मो. फैजान खान (MO. FAIZAN KHAN) पिता अब्दुल कलीम खान (ABDUL KALEEM KHAN) लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जाये.

पुराना नाम
(मो. फैजान खान)
(MD FAIZAN KHAN)

नया नाम
(मो. फैजान खान)
(MO FAIZAN KHAN)
पिता—अब्दुल कलीम खान
(ABDUL KALEEM KHAN)

(G-1465)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा विवाह पूर्व नाम नीलम बंसल, नीलम बारीक, नीलम सिंह, पुत्री धर्मेन्द्र कुमार बंसल था. विवाह उपरान्त से मैं, श्रीमती नीलम सिंह ठाकुर पत्नी श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर के नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ. अब मुझे भविष्य में इसी नाम से जाना व पहचाना जाये.

(G-1466)

नया नाम
(नीलम सिंह ठाकुर)
पत्नी—श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर
पता—वार्ड क्र. 4, कैथरा ब्राट कालोनी,
शाहपुरा पोस्ट शाहपुरा, जिला जबलपुर (म.प्र.).

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पति श्री गोकुल परदेशी से मेरा विवाह विच्छेद होने से मैं, मेरे पिता श्री मनोहर सिंह सोलंकी का उपनाम सोलंकी अपना रही हूँ. पूर्व में मेरे पुत्र का नाम यशमीतसिंग पदरेशी (Yashmitsing Pardeshi) था, जो कि अब परिवर्तित कर यशमीत सिंह सोलंकी (Yashmit Singh Solanki) कर लिया गया है. अतः उसे इसी नाम से ही जाना व पहचाना जावेगा.

(G-1467)

पुराना नाम
(यशमीतसिंग पदरेशी)

नया नाम
(यशमीत सिंह सोलंकी)
प्रियंका पिता मनोहर सिंह सोलंकी,
पता—58—8, एच.आई.जी. फ्लेट्स,
एफ.एफ., विजय नगर, इन्दौर.

नाम परिवर्तन

मैं, प्रतिभा पाण्डेय पत्नी सौरभ कुमार पाण्डेय, निवासी—कृष्णा होम्स, मंडला रोड, तिलहरी, बिलहरी, जबलपुर (म.प्र.). यह कि मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम प्रतिभा पाण्डेय (PRATIBHA PANDEY) दर्ज है. जिसे बदलकर साक्षी पाण्डेय (SAKSHI PANDEY) पत्नी सौरभ कुमार पाण्डेय कर रही हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में साक्षी पाण्डेय (SAKSHI PANDEY) पत्नी सौरभ कुमार पाण्डेय के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे.

(G-1468)

पुराना नाम
(प्रतिभा पाण्डेय)
(PRATIBHA PANDEY)

नया नाम
(साक्षी पाण्डेय)
(SAKSHI PANDEY)
पत्नी—सौरभ कुमार पाण्डेय.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम अंकुर (ANKUR) गलत अंकित हो गया है. मेरा वास्तविक और सही नाम दीपक साहू (DEEPAK SAHU) है. अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत मुझे मेरा सही नाम दीपक साहू (DEEPAK SAHU) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जाए.

पुराना नाम
(अंकुर)
(ANKUR)

नया नाम
(दीपक साहू)
(DEEPAK SAHU)

पिता-कांता प्रसाद साहू
पता-कोलार रोड, गोल अमरावत कलां,
भोपाल (म.प्र.).

(G-1469)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम भूरी बाई (BHURI BAI) अंकित हो गया है. अतः मेरी पुत्री का वास्तविक नाम राशि यादव (RASHI YADAV) है. अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत मुझे मेरी पुत्री का सही नाम राशि यादव (RASHI YADAV) सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जाए.

पुराना नाम
(भूरी बाई)
(BHURI BAI)

नया नाम
(राशि यादव)
(RASHI YADAV)

माता-उमा
पता-अमरावत, मखानी, जिला-रायसेन (म.प्र.).

(G-1470)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म M/s. GRACES RETREAT, S-5 & S-6, CITY CENTER BUILDING PRESS COMPLEX ROAD, (M.P.) NAGAR ZONE 1 BHOPAL (M.P.). जिसका पंजीयक क्र. 01/01/01/0058/23, दिनांक 05 मई 2023 में भारतीय भागीदारी अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है. फर्म के सभी भागीदारों की आपसी सहमति से उक्त फर्म के नाम में परिवर्तन कर फर्म का नया नाम M/s. GRACES GOLD RESORT कर दिया गया है.

M/s. GRACES RETREAT
(KUMAR HARSH)

(भागीदार).

(G-1471)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शर्मिला (Sharmila) पत्नी स्व. श्री कचरू लाल (Kachru Lal) निवासी-म. नं. 20, बंकोट, ग्राम बंकोट, बाईबोडी, भेरुडा, सीहोर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम सरला बाई (Sarla Bai) पत्नी श्री कचरू लाल (Kachru Lal) अंकित है किंतु मेरा सही नाम शर्मिला (Sharmila) पत्नी स्व. श्री कचरू लाल (Kachru Lal) है. मैं, अपना सही नाम शर्मिला (Sharmila) पत्नी स्व. श्री कचरू लाल (Kachru Lal) अपने दस्तावेजों में अंकित कराना चाहती हूँ. मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये.

पुराना नाम
(सरला बाई)
(Sarla Bai)

नया नाम
(शर्मिला)
(Sharmila)
पत्नी-स्व. श्री कचरू लाल
(Kachru Lal).

(G-1472)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राम बिलास पवार (Ram Bilas Pawar) पुत्र श्री हरि सिंह पवार (Hari Singh Pawar) निवासी-390-65, वार्ड नं. 17, श्याम नगर, कॉलोनी हरदा (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम रामविलास पावार (Ramvilash Pawar) केयर ऑफ श्री हरिसिंह पवार (Harisinh Pawar) अंकित है किंतु मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार मेरा सही नाम राम बिलास पवार (Ram Bilas Pawar) पुत्र श्री हरि सिंह पवार (Hari Singh Pawar) है. मैं, इसी नाम से जाना व पहचाना जाता हूँ, मेरा यही नाम प्रचलन में है.

अतः प्रकाशन उपरांत मुझे राम बिलास पवार (Ram Bilas Pawar) पुत्र श्री हरि सिंह पवार (Hari Singh Pawar) के नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये.

आवेदक

(राम बिलास पवार)

(Ram Bilas Pawar)

पुत्र-श्री हरिसिंह पवार

(Hari Singh Pawar)

(G-1473)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मलखान सिंह (Malkhan Singh) पुत्र स्व. श्री नानसाय सिंह हूँ, मेरी पुत्री सानिया सिंह (Saniya Singh) के आधार कार्ड में उसका नाम महिमा सिंह (Mahima Singh) पुत्री मलखान सिंह (Malkhan Singh) अंकित है किंतु मेरी पुत्री के समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार उसका सही नाम सानिया सिंह (Saniya Singh) पुत्री मलखान सिंह (Malkhan Singh) है. वह इसी नाम से जानी व पहचानी जाती है.

अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को सानिया सिंह (Saniya Singh) पुत्री मलखान सिंह (Malkhan Singh) के नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये.

आवेदक

(मलखान सिंह)

(Malkhan Singh)

पुत्र-स्व. श्री नानसाय सिंह

पता-खोलाड़ी, गौरेला, अनूपपुर (म.प्र.).

(G-1474)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरा नाम सुरेश बरौठा (SURESH BAROTHA) है. यही नाम मेरी अंकसूची एवं सर्विस रिकार्ड में दर्ज है, जबकि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड आदि में मेरा नाम सुरेश कुमार बरौठा (SURESH KUMAR BAROTHA) दर्ज है. सुरेश बरौठा और सुरेश कुमार बरौठा मुझ एक ही व्यक्ति के नाम हैं. अतः भविष्य में मुझे सुरेश कुमार बरौठा के स्थान पर सुरेश बरौठा के नाम से जाना-पहचाना जावे व मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड आदि समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम सुरेश बरौठा (SURESH BAROTHA) दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(सुरेश कुमार बरौठा)

(SURESH KUMAR BAROTHA)

नया नाम

(सुरेश बरौठा)

(SURESH BAROTHA)

पुत्र-श्री हर प्रसाद

पता-गाडवे की गोठ, लश्कर, ग्वालियर.

(G-1475)

नाम परिवर्तन

मैं, सैयद जावेद अली (Syed Javed Ali) पिता स्वर्गीय गुलाम मुर्तुजा (Late Gulam Murtuza), निवासी-मकान नं. 47, ब्लॉक बी, एकता नगर, ग्राम रुसल्ली करोद, बैलदार, भोपाल (म.प्र.). मेरी शासकीय सेवा-पुस्तिका में मेरा नाम केवल जावेद अली दर्ज है जो कि सही नहीं है जबकि मेरी अंकसूची, आधार कार्ड, बैंक खाता एवं पैन कार्ड सहित समस्त प्रपत्रों में मेरा नाम सैयद जावेद अली स्पष्ट रूप से उल्लेखित है. अतः मुझे सही नाम सैयद जावेद अली (Syed Javed Ali) पिता स्वर्गीय गुलाम मुर्तुजा (Late Gulam Murtuza) के नाम से ही जाना-पहचाना जाये एवं शासकीय अभिलेखों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(जावेद अली)
(Javed Ali)

नया नाम
(सैयद जावेद अली)
(Syed Javed Ali)

(G-1476)

CHANGE OF NAME

It is notified to all that I am SARFARAZ AHMAD KHAN SON OF SHARAFAT ULLAH KHAN. In my pension records/Beneficiary record my wife's name is mentioned as TARANNUM NISHAT but as per all the documents of my wife her correct name is TARANNUM AHMAD and she is known and recognized by this name only.

After the publication, my wife should be known, read, heard, understood in the records by the name of TARANNUM AHMAD WIFE OF SARFARAZ AHMAD KHAN.

Applicant

(Sarfraz Ahmad Khan)

Son of Sharafat Ullah Khan

Address-B-174, Indravihar Colony, Near Faiz Masjid,
Airport Road, Tilak Housing Society, Bhopal (M.P.).

(G-1477)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दिनेश विश्वकर्मा पुत्र स्व. श्री रामेश्वर विश्वकर्मा, निवासी-ग्राम गादिया, तहसील कन्नौद, जिला देवास (म.प्र.). मेरे पुत्र का वास्तविक नाम प्रीत विश्वकर्मा (PREET VISHWAKARMA) है, आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरे पुत्र का नाम नितिन कुमार हो गया है, अब मेरा पुत्र अपने वास्तविक व नये नाम प्रीत विश्वकर्मा (PREET VISHWAKARMA) के नाम से जाना जायेगा एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरे पुत्र का यही नाम रहेगा.

आवेदक

(दिनेश विश्वकर्मा)

(G-1478)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम वाणी बिल्लोरे (जन्म प्रमाण-पत्र) में है, किन्तु उसके आधार कार्ड में भूल या त्रुटिवश उसका नाम आराध्या बिल्लोरे (Aradhya Billore) लिखा गया है. अतः उसके आधार कार्ड सहित उसके सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में उसे उसके सही नाम वाणी बिल्लोरे (Vani Billore) से ही लिखा व पढ़ा जावे.

प्रार्थी

(मोहित बिल्लोरे)

(G-1479)

पता-67, माता मंदिर के पास, गंगा कालोनी, इन्दौर (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

I, Heer Thawrani here by declare that, my maiden name was Khushboo Baisani. But After my marriage, I have changed my name from Khushboo Baisani To Heer Thawrani W/o. Deepak Thawrani. Henceforth so from now and in future I shall be known as Heer Thawrani for all purpose.

Old Name

(Khushboo Baisani)

(G-1480)

New Name

(Heer Thawrani)

W/o. Deepak Thawrani
Add.- 144-J, Scheme No. 71,
Sector A, Indore (M.P.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कुछ दस्तावेजों में मुन्नालाल (Munnalal) लिखा हुआ है तथा कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम मन्नूलाल कश्यप (Mannulal Kashyap) लिखा हुआ है, मेरा सही नाम मन्नूलाल कश्यप (Mannulal Kashyap) है, अतः अब से मेरे सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम मन्नूलाल कश्यप (Mannulal Kashyap) लिखा, पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

**(मुन्नालाल)
(Munnalal)**

(G-1481)

नया नाम

**(मन्नूलाल कश्यप)
(Mannulal Kashyap)**

पता-272, कुम्हार खाडी, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम दया चेलानी है, किन्तु मेरे हाऊसिंग बोर्ड के कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम भूल या त्रुटिवश दया चेलानी की जगह जया चेलानी (Jaya Chelani) लिखा गया है. अतः प्रकाशन उपरांत सभी व्यक्तिगत एवं शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में जहां भी मेरा नाम जया चेलानी लिखा हुआ हो उन सभी में मेरा सही नाम दया चेलानी (Daya Chelani) ही लिखा व पढ़ा जाए.

पुराना नाम

**(जया चेलानी)
(Jaya Chelani)**

(G-1482)

नया नाम

**(दया चेलानी)
(Daya Chelani)**

पता-म.नं. 104, जी-2, सबरी नगरी,
तीसरा माला, इन्दौर (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

My correct name is Bilkeesh Dubey , But in my income tax record my name is written only Dubey D/o. Ganga Charan Shukla in which my first name is Missing, So now I want to correct and complete it. Henceforth my name shall be read and written as Bilkeesh Dubey for all purposes.

Old Name

(Dubey)

(G-1483)

New Name

(Bilkeesh Dubey)

D/o. Ganga Charan Shukla
W/o. Manish Dubey
Add.-502, Garha, Behind Bada Jain
Temple, Garha, Jabalpur (M.P.).

PUBLIC NOTICE

PUBLIC NOTICE IS HEREBY Given that the partnership firm M/S. MALWA CONSTRUCTION having Registered office at R-II/05, Super Market, Jawahar Chowk, Dewas (M.P.) 455001 which was constituted vide partnership deed executed on 26th November, 2009 and duly registered at Ujjain in the Assistant Registrar of Firms bearing No. 07/38/01/00071/09, Dated 08th December 2009 and the initial partner were Shri Nawman Khan S/o Shri Abdul Rauf Khan and Shri Abdul Rauf Khan S/o Late Shri Abdul Sattar Khan.

In this partnership firm subsequently Shri Nawman Khan had retired from firm on 22nd day of February, 2024 due to death and his legal heir Smt. Rodaba Khan W/o Late Shri Nawman Khan has been adopted as partner in place of deceased partner as per provision of the clause No.11 of the original partnership deed dated 26th November 2009 w.e.f. 22nd February 2024.

Further take notice that the partners have decided to dissolve the partnership firm and M/S. MALWA CONSTRUCTIONS of the parties hereto stands dissolved with effect from 12th day of October, 2024.

For MALWA CONSTRUCTIONS

Rodaba Khan

(PARTNER)

W/o Late Shri Nawman Khan

Add.-130, Shivom Estate, Station Road,

Dewas (M.P.)

(G-1484)

PUBLIC NOTICE

PUBLIC NOTICE IS HEREBY Given that the partnership firm M/S. TAJ INFRA Registered office at 45B/2, Lohawala Real Estate Hub, Station Road, Infront of Geeta Bhawan, Dewas (M.P.) 455001 which was constituted vide partnership deed executed on 1st July, 2022 and duly registered at Ujjain in the Assistant Registrar of Firms bearing No. 07/38/01/0071/22, Dated 28th July 2022 and the initial partners were Shri Mustafa Ali S/o Shri Haidar Ali, Huzefa Lohawala S/o Shri Mustafa Ali, Husain Lohawala S/o Shri Mustafa Ali, Shri Dilip Kumar Vijayvargiya S/o Shri Surajmal Vijayvargiya, Shri Puneet Vijayvargiya S/o Shri Dilip Kumar Vijayvargiya, Shri Chhagan Singh Parihar S/o Shri Bhanwar Singh, Smt. Sonam Parihar W/o Shri Rahul Singh Parihar and Smt. Aarti Dubey D/o Shri Tribhuwan Nath.

In this partnership firm on 25th day of March, 2025 the partners Shri Chhagan Singh Parihar S/o Shri Bhanwar Singh, Smt. Sonam Parihar W/o Shri Rahul Singh Parihar and Smt. Aarti Dubey D/o Shri Tribhuwan Nath voluntarily retired from the firm and Shri Harsh Vijayvargiya S/o Shri Dilip Kumar Vijayvargiya has joined the firm w.e.f. 25th day of March, 2025 vide Reconstituted Partnership Deed executed on 25th day of March, 2025.

Further, take Notice that the said business will be carried on by continuing and incoming partner under the old name and style.

For TAJ INFRA

Mustafa Ali

(PARTNER).

S/o Shri Haidar Ali

Add.-House No. 31, Hakim Manzil, Shivom Estate,

Dewas (M.P.).

(G-1485)

PUBLIC NOTICE

This is to inform that M/s. MAA SHARDA RICE MILL, having office at Ward no 20- Village -Khapa, Tehsil-Waraseoni, Balaghat (M.P.)481331, a partnership firm incorporated on 01/03/2014, having Three partners named as :-

- (1) Shri Urkud Patle Son of Late Shri Chatruji Patle Resident of Village-Khapa, Tehsil-Waraseoni, Balaghat.
- (2) Shri Rajesh Patle Son of Shri Urkud Patle , Age 50 years, Resident of Village-Khapa, Tehsil-Waraseoni, Balaghat.
- (3) Shri Ramesh Patle Son of Shri Urkud Patle , age 48 years, Resident of Village-Khapa, Tehsil-Waraseoni, Balaghat.

That with effect from 01/07/2023 One of the partner Shri Urkud Patle has retired from the firm due to his death on 30/06/2023.

Thus with effect from 01/07/2023 Shri Tarang Patle , Age 25 years Son of Shri Rajesh Patle, Resident of Village -Khapa, Tehsil-Waraseoni, Balaghat has been introduced as Third partner of the firm.

Therefore now with effect from 01/07/2023 there are Three number of Partners in the firm M/s Maa Sharda Rice Mill namely :-

- (1) **Shri Rajesh Patle** Son of Shri Urkud Patle, Resident of Village-Khapa, Tehsil-Waraseoni, Balaghat.
- (2) **Shri Ramesh Patle** Son of Shri Urkud Patle, Resident of Village-Khapa, Tehsil-Waraseoni, Balaghat.
- (3) **Shri Tarang Patle** Son of Shri Rajesh Patle, Resident of Village-Khapa, Tehsil-Waraseoni, Balaghat.

This Public notice is being published for the purpose of information to be given to the office of Registrar of Firms and Society.

Maa Sharda Rice Mill

1. Rajesh Patle
2. Ramesh Patle
3. Tarang Patle

(PARTNER).

(G-1486)

नाम परिवर्तन

मैं, निशिथ खरे पुत्र स्व. श्री हरीशकुमार खरे, निवासी-457, स्कीम नं. 114, पार्ट-2, ए.बी. रोड, इन्दौर, (म.प्र.). मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण-पत्र एवं आधार कार्ड में घर का बोलता हुआ नाम अद्विक खरे (ADVIK KHARE) पुत्र श्री निशिथ खरे (NISHITH KHARE) दर्ज हो गया है. मेरे पुत्र का सही नाम अविघ्न खरे (AVIGHN KHARE) पुत्र श्री निशिथ खरे (NISHITH KHARE) है. एवं भविष्य में वह इसी नाम व सरनेम से जाना-पहचाना जावेगा.

पुराना नाम

(अद्विक खरे)

(ADVIK KHARE)

(G-1487)

नया नाम

(AVIGHN KHARE)

पुत्र-श्री निशिथ खरे

(NISHITH KHARE).

नाम परिवर्तन

मैं, संगीता तिवारी पत्नी रविन्दन तिवारी, निवासी-हर्ष नगर, सचिन तेंदुलकर रोड, थाटीपुर, ग्वालियर. मेरा विवाह पूर्व नाम गुलाबबाई पुत्री श्री मोहनलाल गौतम था. मेरा विवाह श्री रविन्दन तिवारी के साथ होने के पश्चात् मेरा वर्तमान नाम संगीता तिवारी पत्नी रविन्दन तिवारी हो गया है. गुलाबबाई एवं संगीता तिवारी दोनों एक ही महिला के नाम हैं तथा वर्तमान दस्तावेजों में मेरे द्वारा नया नाम ही प्रयुक्त किया जा रहा है. अतः मुझे नए नाम से ही जाना-पहचाना एवं समस्त शासकीय/अशासकीय एवं निजी दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(गुलाबबाई तिवारी)

(G-1488)

नया नाम

(संगीता तिवारी)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम भूमि खुशलानी पति महेश खुशलानी था. मैंने अपना नाम परिवर्तित कर दिप्ती ईदनानी पिता भगवान ईदनानी (DEEPTI IDNANI S/o BHAGWANDAS IDNANI) हो गया है. मेरे समस्त शासकीय दस्तावेजों में यही नाम दर्ज है. मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना एवं समझा जाता है, जो कि सत्य एवं सही है.

आवेदक

(दिप्ती ईदनानी)

पिता-भगवान ईदनानी,

पता-37-2, शिवम् पुरी कॉलोनी,

इन्दौर (म.प्र.).

(G-1489)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम "प्रीतेश तिवारी आ. श्री नरोत्तम राम तिवारी" है, जबकि मेरे कुछ शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम त्रुटिवश "बबलू तिवारी आ. नरोत्तम तिवारी" अंकित है. जबकि मेरा वास्तविक एवं प्रचलित नाम "प्रीतेश तिवारी आ. श्री नरोत्तम राम तिवारी" है, जो कि मेरे आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में अंकित है. अब मैं, अपना नाम "प्रीतेश तिवारी आ. श्री नरोत्तम राम तिवारी" अंकित कराना चाहता हूँ.

पुराना नाम

नया नाम

("बबलू तिवारी आ. नरोत्तम तिवारी")

("प्रीतेश तिवारी आ. श्री नरोत्तम राम तिवारी")

(G-1490)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम मनजीत धनगर पिता कुंजीलाल धनगर (Manjeet Dhangar S/o Kunjilal Dhangar) है, त्रुटिवश मेरा नाम आधार कार्ड में मनजीत धनगर (MANJEET GHANGAR) हो गया है, जो कि गलत है, मेरा सही नाम मनजीत धनगर पिता कुंजीलाल धनगर (Manjeet Dhangar S/o Kunjilal Dhangar) है, मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में यही नाम दर्ज है, मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जाता है.

प्रार्थी

(मनजीत धनगर)

पता-14, मोहन की बस्ती, महु,

जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-1491)

नाम परिवर्तन

मैं, मान सिंह मकवाना (MAN SINGH MAKWANA) पुत्र श्री गुल सिंह, निवासी-माता दरवाजा, ग्राम बाग, रिसवाला, धार (म.प्र.). यह कि मेरे पेंशन भुगतान आदेश में त्रुटिवश मान सिंह मकवाना (MAN SINGH MAKAWANA) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में मान सिंह मकवाना (MAN SINGH MAKWANA) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में मान सिंह मकवाना (MAN SINGH MAKWANA) के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(मान सिंह मकवाना)

(मान सिंह मकवाना)

(MAN SINGH MAKAWANA)

(MAN SINGH MAKWANA)

(G-1492)

नाम परिवर्तन

मैं, भीमराव मेश्राम (BHIMRAO MESHARAM) पुत्र श्री तुलसीराम मेश्राम, निवासी-101-1, अल्कापुरी कॉलोनी, मूसाखेड़ी, इन्दौर (म.प्र.). यह कि मेरे पेंशन भुगतान आदेश में त्रुटिवश भीम राव (BHIM RAO) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में भीमराव मेश्राम (BHIMRAO MESHARAM) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में भीमराव मेश्राम (BHIMRAO MESHARAM) के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(भीम राव)

(BHIM RAO)

(G-1493)

नया नाम

(भीमराव मेश्राम)

(BHIMRAO MESHARAM).

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीनारायण लाड़ने (SHRINARAYAN LADNE) पुत्र स्व. श्री ग्यारसीलाल लाड़ने, निवासी-म.नं. 227, अंबेडकरनगर, कॉलोनी, पोस्ट-नंदानगर, जिला-इन्दौर (म.प्र.). यह कि मेरे पेंशन भुगतान आदेश में त्रुटिवश श्री नारायण (SHREE NARAYAN) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में श्रीनारायण लाड़ने (SHRINARAYAN LADNE) नाम दर्ज है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में श्रीनारायण लाड़ने (SHRINARAYAN LADNE) के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(श्री नारायण)

(SHREE NARAYAN)

(G-1494)

नया नाम

(श्रीनारायण लाड़ने)

(SHRINARAYAN LADNE).

नाम परिवर्तन

मैं, संजू भेरवे पुत्र मनोहर लाल भेरवे, निवासी-म.नं. 426, मस्जिद के पास, रवि शंकर नगर, भोपाल (म.प्र.) यह कि मेरे आधार कार्ड पर त्रुटिवश संजय कुमार भेरवे नाम दर्ज हो गया है. जो कि गलत है, जबकि मेरे समस्त दस्तावेजों में संजू भेरवे (SANJU BHERVE) पुत्र मनोहर लाल भेरवे, नाम दर्ज है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में संजू भेरवे (SANJU BHERVE) पुत्र मनोहर लाल भेरवे के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(संजय कुमार भेरवे)

(G-1495)

नया नाम

(संजू भेरवे)

(SANJU BHERVE)

पुत्र-मनोहर लाल भेरवे.

नाम परिवर्तन

मैं, देवेन्द्र कुमार चौरे पुत्र श्री संतोषी लाल चौरे, निवासी-मं.न. 47, वेदिक बिहार कालोनी, मालाखेड़ी, नर्मदापुरम (म.प्र.). यह कि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम सौम्य चौरे दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. जबकि मेरे पुत्र का सही नाम सौमेश चौरे (Soumesh Chourey) पुत्र देवेन्द्र कुमार चौरे है जो कि सत्य एवं सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को उसके सही नाम सौमेश चौरे (Soumesh Chourey) पुत्र देवेन्द्र कुमार चौरे के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(G-1496)

(देवेन्द्र कुमार चौरे).

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, कलेक्टर एवं पंजीयक, लोक न्यास जिला पांडुर्णा, मध्यप्रदेश

पांडुर्णा, दिनांक 25 फरवरी 2025

प्रारूप चार

[नियम 5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा 2 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) देखिए]

प्र.क्र. 0004-बी 113(1)-2024-2025.- यह कि श्री वीरशैव लिंगायत मठ उर्फ गणपति मठ संस्थान पांडुर्णा, तहसील पांडुर्णा, जिला पांडुर्णा के पदाधिकारियों/सदस्यों द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है। एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कथित आवेदन पर दिनांक 28 मार्च 2025 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में विचार में लिया जावेगा। मैं, लोक न्यास पंजीयक पांडुर्णा, जिला पांडुर्णा अपने न्यायालय में दिनांक 28 मार्च 2025 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था जो ट्रस्ट या सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है, के सम्बन्ध में कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से "एक माह" अर्थात् 30 दिवस के भीतर इस न्यायालय में न्यायालयीन कार्य दिवस अथवा नियत सुनवाई की तिथि को न्यायालयीन समय में स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। उपर्युक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्ति/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा:-

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम व पता

-

श्री वीरशैव लिंगायत मठ उर्फ गणपति मठ संस्थान, गणेश वार्ड पांडुर्णा, तहसील पांडुर्णा, जिला पांडुर्णा (म.प्र.)

सम्पत्ति का विवरण:-

1. नगरपालिका क्षेत्र पांडुर्णा के गणेश वार्ड तहसील-पांडुर्णा जिला पांडुर्णा की भूमि शासकीय आबादी खसरा नं. 844 रकबा 6.3750 हे. में से 6500 वर्गफिट लगभग, वीरशैव लिंगायत मठ उर्फ गणपति मठ के नाम पर नगरपालिका पांडुर्णा में दर्ज है।
2. ग्राम कलमगांव, तहसील-पांडुर्णा, जिला- पांडुर्णा में स्थित निम्नांकित भूमि-
 - (1) खसरा नं. 241/2 रकबा 0.292 हे.
 - (2) खसरा नं. 241/3 रकबा 0.403 हे.
3. तहसील पांडुर्णा, जिला पांडुर्णा के मौजा पांडुर्णा में स्थित भूमि खसरा नं. 257, 349, 392, 435, 467, 478, 457/1, 465/4 कुल खसरा नं. 8 कुल रकबा 20.199 हे.
4. नागरिक बैंक पांडुर्णा में जमा राशि 343164.00 (तीन लाख तैंतालीस हजार एक सौ चौसठ रुपये)
5. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पांडुर्णा के कार्यालय में भू-अर्जन की जमा राशि 44,00,000.00 (चवालीस लाख रुपये).
6. मठ का पुराना सागौन का म्यान एवं दरवाजे के विक्रय से प्राप्त राशि 1,70,000.00 (एक लाख सत्तर हजार रुपये).
7. चांदी के बर्तन 4 थाली, चांदी का 1 मुकुट, शंख 2 नग, नरमादी के ऊपर सोने का कवर एवं समाज का खाना बनाने का बर्तन.

(G-1497)

अजय देव शर्मा, कलेक्टर एवं पंजीयक.

न्यायालय, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, पाटन, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश

जबलपुर, दिनांक 28 फरवरी 2025

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा 5 के तहत]

प्र.क्र. 01-बी-113-2024-25.- चूंकि, आवेदक रामस्वरूप पिता भदैया, निवासी-ग्राम पिपरिया, तहसील पाटन, जिला जबलपुर, की ओर से श्री रघुवीर सिंह अधिवक्ता द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के तहत लोक न्यास का पंजीयन किये जाने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि मौजा पिपरिया प.ह.नं. 26/62 रा0नि0म0 पाटन तहसील पाटन, जिला जबलपुर में स्थित खसरा नंबर 32, 65/5, 98/5, 136/6 रकबा 0.11, 0.06, 0.28, 0.46 हे. कुल रकबा 0.93 हे. भूमि राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम से बतौर भूमि स्वामी दर्ज हैं. उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि पर आवेदक ने श्री राधाकृष्ण मंदिर का निर्माण कराया है जिसमें राधाकृष्ण जी की प्रतिमा स्थापित है, उक्त मंदिर निर्माण कराने का उद्देश्य धार्मिक भावना है और उक्त मंदिर में स्थापित प्रतिमाओं के प्रति आवेदक के साथ आवेदक के परिवार एवं अन्य व्यक्ति जो उक्त मंदिर में स्थापित प्रतिमाओं की पूजा पाठ करने में आस्था रखते धार्मिक लाभ अर्जित करना है.

उक्त मंदिर की संपूर्ण व्यवस्था हेतु एवं धार्मिक उत्सव मनाये जाने हेतु तथा अन्य वार्षिक त्योहारों का आयोजन तथा अन्य खर्च मंदिर के रख रखाव में लगने वाली सामग्री पूजा पाठ में लगने वाली सामग्री उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि की आय से पूर्ण की जावेगी उक्त लोक न्यास का पंजीयन किये जाने अनुतोष चाहा गया है.

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन-पत्र मेरे न्यायालय में दिनांक 14 फरवरी 2024 को विचार के लिये लिया जावेगा. यदि कोई व्यक्ति उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां या सुझाव देने का विचार रखता हो तो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करता है.

अतः, मैं, मानवेन्द्र सिंह राजपूत, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट पाटन, तहसील पाटन, जिला जबलपुर अपने न्यायालय में दिनांक 24 मार्च 2025 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 3 के द्वारा यथा जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अतः, एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अर्थात् नियत दिनांक 24 मार्च 2025 के पूर्व दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना होगा और न्यायालय में मेरे समक्ष उपस्थित होना चाहिये उपरोक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों या सुझाव को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जायेगा:-

अनुसूची

| | | |
|------------------|---|--|
| लोक न्यास का नाम | — | श्री राधाकृष्ण, मंदिर ग्राम पिपरिया (हरदुआ) तहसील पाटन, जिला जबलपुर (म.प्र.). |
| (अ) चल संपत्ति | — | निरंक |
| (ब) अचल संपत्ति | — | मौजा पिपरिया प.ह.नं. 26/62 रा0नि0म0 पाटन तहसील पाटन, जिला जबलपुर स्थित खसरा नंबर 32, 65/5, 98/5, 136/6 रकबा 0.11, 0.06, 0.28, 0.46 हे. रकबा 0.93 हे. भूमि राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम दर्ज हैं. |

नियत दिनांक 24 मार्च 2025

(G-1498)

मानवेन्द्र सिंह राजपूत, रजिस्ट्रार.

इन्दौर, दिनांक 11 मार्च 2025

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अनुभाग (मल्हारगंज), इन्दौर, मध्यप्रदेश
[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 : तीस : (95) की धारा 5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5(1) के अन्तर्गत]

क्र. 3038-ट्रस्ट-2025.- आवेदक "श्री सम्भवनाथ दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास" तर्फे प्रकाशचन्द्र जैन पिता श्री कोमलचंद्र जैन कार्यालय पता-31, महिमा स्मार्ट सिटी, बड़ा बांगडदा रोड, सुपर कॉरिडोर, इन्दौर द्वारा "श्री सम्भवनाथ दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास" का मध्यप्रदेश का पब्लिक एक्ट की धारा 4(2) के अर्न्तगत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं:-

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा:-

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

| | | |
|-----------------|---|--|
| ट्रस्ट का नाम | - | "श्री सम्भवनाथ दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास" |
| कार्यालय का पता | - | पता-31, महिमा स्मार्ट सिटी, बड़ा बांगडदा रोड, सुपर कॉरिडोर, इन्दौर |
| चल संपत्ति | - | 21,000/- (अक्षरी रुपये इक्कीस हजार मात्र) |
| अचल संपत्ति | - | निरंक |

आज दिनांक 11 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रकाशित किया गया।

(G-1499)

इन्दौर, दिनांक 18 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 : तीस : (95) की धारा 5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम 5(1) के अन्तर्गत]

क्र. 3078-ट्रस्ट-2025.- आवेदक "श्री शक्तिपीठ ब्रह्मविद्या आश्रम" तर्फे श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा पिता बृजमोहन शर्मा कार्यालय पता-352, प्रीमियम पार्क इन्दौर (म.प्र.) द्वारा "श्री शक्तिपीठ ब्रह्मविद्या आश्रम" का मध्यप्रदेश का पब्लिक एक्ट की धारा 4(2) के अर्न्तगत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं:-

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा :-

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

| | | |
|-----------------|---|---|
| ट्रस्ट का नाम | - | "श्री शक्तिपीठ ब्रह्मविद्या आश्रम" |
| कार्यालय का पता | - | पता-352, प्रीमियम पार्क इन्दौर (म.प्र.) |
| चल संपत्ति | - | निरंक |
| अचल संपत्ति | - | निरंक |

आज दिनांक 18 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रकाशित किया गया।

(G-1500)

निधि वर्मा, रजिस्ट्रार.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, खण्डवा, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

खण्डवा, दिनांक 25 मार्च 2025

प्रारूप चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5(2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम, 1962, के नियम 5(1) के अंतर्गत]

प्र.क्र. 0005-बी-113(1)-2024-25.- जैसा कि अंकुश मोरे पिता अनारसिंह मोरे, निवासी-एन व्ही डी ए कॉलोनी, वार्ड नंबर 5, खण्डवा ने अनुसूची में दर्शित न्यास/संपत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 21 अप्रैल 2025 को विचार किया जायगा.

उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो, वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा:-

अनुसूची

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता | — | “देसी टॉप सामाजिक संस्था” केसर होटल के सामने, धनवंतरी नगर, खण्डवा |
| चल संपत्ति | — | 20 हजार रुपये (नगद) |
| अचल संपत्ति | — | निरंक |

(G-1501)

बजरंग बहादुर सिंह, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक.

कार्यालय, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट अधिकारी, उज्जैन नगर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

उज्जैन, दिनांक 27 मार्च 2025

प्रारूप चार

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) देखिए]

पंजीयक,

लोक न्यास,

उज्जैन, जिला उज्जैन के समक्ष

क्र. एसडीएम नगर-रीडर-1-2025-470.- चूंकि आवेदक श्री लीलाराम अडवानी पिता श्री चेलाराम अडवानी निवासी- 20/3, सुभाष नगर, बैंक कॉलोनी, सांवेर रोड, उज्जैन अध्यक्ष, एकायनो मग्गो विपस्सना चैरिटेबल ट्रस्ट, कार्यालय- 14, गोवर्धनधाम नगर, इंदौर रोड, उज्जैन ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में लोक न्यास के रूप में पंजीकृत कराने के लिये आवेदन किया है, एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदक मेरे न्यायालय में दिनांक 29 अप्रैल 2025 को दोपहर 03:00 बजे स्थान-सम्राट विक्रमादित्य प्रशासनिक संकुल भवन के सामने स्थित संयुक्त तहसील भवन कोठी महल के प्रथम तल के कक्ष क्रमांक-104 में विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः, मैं, पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उज्जैन नगर, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 29 अप्रैल 2025 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यवाही, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता ओर कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा:—

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

| | | |
|--------------|---|--|
| न्यास का नाम | — | “एकायनो मगो विपस्सना चैरिटेबल ट्रस्ट” |
| कार्यालय | — | 14, गोवर्धनधाम नगर, इंदौर रोड, उज्जैन (म.प्र.) |
| अचल संपत्ति | — | वर्तमान में न्यास ने अपने पास अचल संपत्ति शून्य दर्शाई है. |
| चल संपत्ति | — | वर्तमान में न्यास ने अपने पास चल संपत्ति 11,000/- दर्शाई है. |

(G-1502)

लक्ष्मीनारायण गर्ग, पंजीयक.

कार्यालय, रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, शहर वृत्त, जिला भोपाल मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 5(1), पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952, के नियम 5(1), के अंतर्गत]

क्र. 2776—रीडर—2025.— आवेदक श्री यशवंत सिंह लोधी आ. श्री बाबु लाल लोधी, निवासी 223 सेवनियां गोंड, भदभदा रोड सूरज नगर, भोपाल तह. हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा “कुसमी सरकार सेवा संस्थान न्यास” को ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अनुसूची में दर्शायी गई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में दो प्रतियों में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर स्वयं या अपने अभिभावक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं. उपयुक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा:—

अनुसूची

| | | |
|-----------------|---|---|
| ट्रस्ट का नाम | — | “कुसमी सरकार सेवा संस्थान न्यास” |
| कार्यालय का पात | — | ई-302, अशोका एनक्लेव, गोविन्दपुरा, रायसेन रोड, भोपाल, तह. हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). |
| अचल संपत्ति | — | कुछ नहीं |
| चल संपत्ति | — | 1,00,000/- (एक लाख रुपये) |

(G-1503)

दीपक पाण्डेय, रजिस्ट्रार.

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, तहसील रांझी, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश

जबलपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

प्रारूप चार

[नियम 5(1)देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5(2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम 5(1) के अंतर्गत]

प्र.क्र. 0001-बी-113-2024-25.- प्रकरण में आवेदक को आदेश पत्रिका दिनांक 6 दिसम्बर 2024 के माध्यम से सुना गया. प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर न्यास के पंजीयन हेतु बताया गया.

न्यास महर्षि बाल्मीकी सीता ट्रस्ट, जबलपुर की ओर से आवेदक श्री खेमराज महरोलिया पिता स्व. श्री दुख्खी लाल महरोलिया, पता-म.नं. 1443, पुरानी बस्ती कटनी, दफाई मस्ताना चौक रांझी, जबलपुर के द्वारा न्यास के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 के नियम 4 के अधीन नीचे अनुसूची में दर्शायी गई सम्पत्ति लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट कर पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है,

अतः, एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पर संघारित प्रकरण मेरे न्यायालय में पेशी दिनांक 6 जनवरी 2025 को विचार के लिये नियत है. कोई भी व्यक्ति/संस्था उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन/दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है अथवा उक्त नियत दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अपने अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/दावों/सुझावों पर कोई विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जावेगा:-

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण एवं लोक न्यास का नाम और पता)

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| 1. लोक न्यास का नाम एवं पता | — | महर्षि बाल्मीकी सीता ट्रस्ट, जबलपुर (म.प्र.) |
| 2. चल सम्पत्ति | — | निरंक |
| 3. अचल सम्पत्ति | — | निरंक |
| 4. न्यास की आय का साधन | — | दान एवं चंदे द्वारा. |

जारी दिनांक - 6 दिसम्बर, 2024

पेशी दिनांक 6 जनवरी 2025

(G-1504)

रघुवीर सिंह मरावी, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, परिसमापक, दुग्ध सहकारी समिति मर्या., जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश

बड़वानी, दिनांक 23 सितम्बर 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के उपनियम 57(1)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन-2024—क्यू-1.— कार्यालय, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

| क्र. | परिसमापन संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक व दिनांक | पूर्व आदेश क्रमांक व दिनांक |
|------|---|----------------------------|--------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | दुग्ध उत्पा., सह. संस्था मर्या., कांकरिया | 249/11.4.2008 | 998/08.12.2014 |
| 2. | दुग्ध उत्पा., सह. संस्था मर्या., देवला (अजंदी) | 234/29.1.2008 | 999/08.12.2014 |
| 3. | दुग्ध उत्पा., सह. संस्था मर्या., घट्टी | 207/07.07.2006 | 1001/08.12.2014 |
| 4. | दुग्ध उत्पा., सह. संस्था मर्या., दवाना | 610/23.4.1983 | 1002/08.12.2014 |
| 5. | दुग्ध उत्पा., सह. संस्था मर्या., रणगांव डेब | 803/01.04.1991 | 1008/08.12.2014 |
| 6. | दुग्ध उत्पा., सह. संस्था मर्या., पिपलाज | 789/26.12.1981 | 363/04.04.2023 |
| 7. | दुग्ध उत्पा., सह. संस्था मर्या., भगवानपुरा | 372/20.10.2014 | 363/04.04.2023 |
| 8. | दुग्ध उत्पा., सह. संस्था मर्या., किरमोही | 376/20.10.2014 | 920/06.07.2018 |
| 9. | दुग्ध उत्पा., सह. संस्था मर्या., बालकुआ | 215/16.03.2007 | 955/13.09.2023 |
| 10. | दुग्ध उत्पा., सह. संस्था मर्या., खड़की | 299/28.03.2012 | 956/13.09.2023 |
| 11. | दुग्ध उत्पा., सह. संस्था मर्या., रसवा | 351/22.03.2014 | 957/13.09.2023 |
| 12. | दुग्ध उत्पा., सह. संस्था मर्या., पलसुद | 911/03.03.1994 | 958/13.09.2023 |
| 13. | दुग्ध उत्पा., सह. संस्था मर्या., नागलवाड़ी | 375/20.10.2014 | 959/13.09.2023 |
| 14. | दुग्ध उत्पा., सह. संस्था मर्या., तलवाड़ाडेब | 301/30.03.2012 | 960/13.09.2023 |
| 15. | दुग्ध उत्पा., सह. संस्था मर्या., तलवाड़ाबुजुर्ग | 546/22.09.1980 | 961/13.09.2023 |
| 16. | दुग्ध उत्पा., सह. संस्था मर्या., जुनापानी | 236/27.02.2008 | 3258/09.03.2024 |

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1960 के उपनियम 57(1)(सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय-प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा, तदानुसार समिति की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 23 सितम्बर, 2024 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

(G-1505)

कुन्ता चौहान, परिसमापक एवं संघ पर्यवेक्षक.

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश

धार, दिनांक 11 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के उपनियम 57(1)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र.-परिसमापन-2025-क्यू.- कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे कार्यालयीन संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2025/422, धार दिनांक 6 मार्च 2025 से संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

| क्र. | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक व दिनांक | परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक |
|------|---|-------------------------|-----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | आदिवासी बहु. सहकारी संस्था मर्या., डोंगरी दसौडा तह. धरमपुरी | 338/31.03.1968 | 88/12.01.2012 |
| 2. | चक्रधारी संयुक्त कृषि सहकारी संस्था मर्या., डोंगरी दसौडा, (धरमपुरी). | 323/14.12.1963 | 88/12.01.2012 |
| 3. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जाबडा (बदनावर) | 675/20.03.1986 | 1139/14.08.2013 |
| 4. | अन्नपूर्णा को. ऑप. एग्रो सहकारी संस्था मर्या., धार | 935/13.05.1994 | 643/18.04.2013 |
| 5. | दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., पूरा | 1113/15.07.2002 | 2372/23.04.2021 |
| 6. | मांझी सरदार सरोवर जूब प्रभावित मत्स्य सह. संस्था मर्या., निसरपुर | 1709/11.08.2017 | 2253/22.04.2021 |
| 7. | शुभलक्ष्मी साख सह. संस्था मर्या., कुक्षी | 1450/02.05.2012 | 2248/22.04.2021 |
| 8. | सामु. ग्राम विकास साख सह. संस्था मर्या., पाडल्या | 1501/27.03.2014 | 2219/22.04.2021 |
| 9. | धन संचय साख सह. संस्था मर्या., कुक्षी | 1474/18.01.201 | 2249/22.04.2021 |
| 10. | आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., सिलकुआं | 1027/08.01.1999 | 2251/22.04.2021 |
| 11. | दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., बरमखेड़ी | 1189/17.08.2005 | 124/19.01.2023 |
| 12. | दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., बडोदिया | 1542/30.09.2014 | 124/19.01.2023 |
| 13. | दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., पड़नीकलां | 744/20.01.1990 | 124/19.01.2023 |
| 14. | श्री माही प्राथ. उप. भंडार मर्या., सरदारपुर | 1357/05.03.2013 | 124/19.01.2023 |
| 15. | हरि. चर्म सहकारी संस्था मर्या., बरमण्डल (सरदारपुर) | 679/03.09.1986 | 122/19.01.2023 |
| 16. | प्राथमिक बुनकर एवं विवर्स सह. संस्था मर्या., रिगनोद | 402/19.05.1944 | 124/19.01.2023 |
| 17. | लक्ष्मीबाई यातायात सहकारी संस्था मर्या., तिरला (राजगढ़) | 822/28.07.1992 | 124/19.01.2023 |
| 18. | माँ बाद्येश्वरी सरदार सरो. जूब प्रभा.मत्स्य सह. संस्था मर्या., चिखल्दा. | 1711/18.03.2017 | 2252/22.04.2021 |
| 19. | माँ नर्मदा विस्थापित मत्स्योद्योग सह. संस्था मर्या., रतवा | 1713/22.08.2017 | 2252/22.04.2021 |

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1960 के उपनियम 57(1)(सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय-प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा, तदानुसार समिति की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 23 सितम्बर 2024 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

(G-1506)

राजाराम बघेल, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय, उप अंकेक्षक एवं परिसमापक, सहकारिता, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश
सीहोर, दिनांक 17 फरवरी 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अंतर्गत]

क्र.-परिसमापक-2025-क्यू- उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला सीहोर द्वारा निम्न लिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

| क्र. | नाम संस्था | पंजीयन क्रमांक/दिनांक | परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक |
|------|---|-----------------------|--------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | प्राथमिक मछुआ सहकारी संस्था मर्या., सातनवाड़ी, तह. व जिला सीहोर. | 970/23.12.1989 | 1312/16.12.2022 |
| 2. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नवरंगपुर, तह. आष्टा, जिला सीहोर. | 780/30.09.2008 | 1026/17.07.2023 |
| 3. | विकास मछुआ सहकारी संस्था मर्या., मैना, तह. आष्टा, जिला सीहोर. | 1060/04.08.1995 | 1026/17.07.2023 |
| 4. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खामखेड़ा, बैजनाथ तह. आष्टा, जिला सीहोर. | 1206/30.11.2002 | 1383/06.10.2023 |
| 5. | प्राथमिक वानिकी सहकारी संस्था मर्या., लालाखेड़ी, तह. व जिला सीहोर. | 1859/23.03.2017 | 1387/06.10.2023 |
| 6. | आजाद बुनकर सहकारी संस्था मर्या., अलीपुर आष्टा, तह. आष्टा, जिला सीहोर. | 1541/05.05.2011 | 212/20.02.2024 |
| 7. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खानदौरपुरा, तह. आष्टा जिला सीहोर. | 957/06.11.1989 | 216/21.02.2024 |
| 8. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खामखेड़ा, बैजनाथ तह. आष्टा, जिला सीहोर. | 833/22.04.1984 | 1242/06.09.2023 |
| 9. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मुण्डला महोबिया जोजिया. | 953/06.11.1989 | 1242/06.09.2023 |
| 10. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हीरापुर, तह. आष्टा, जिला सीहोर. | 1205/30.11.2002 | 421/14.05.2024 |

सहकारी अधिनियम की धारा 71(1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय-प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पुराना जिला पंचायत कार्यालय, लुनिया चौराहा, सीहोर में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण-दावेदारगण-सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखा-पुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयंमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जबाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों साहूकारों सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शायी गयी लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस शुन्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 17 फरवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय पदमुद्रा से जारी की गयी है।

(G-1507)

डी.के. आर्य, उप अंकेक्षक एवं परिसमापक.

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 अप्रैल 2025-चैत्र 21, शक 1947

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाएँ

(कुछ नहीं)